श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) अध्यक्ष महोदय, अभी गृह मंत्री महोदय ने कहा कि प्रधान मंत्री के घर के सामने जो लोग धरना देने जायेंगे उन के धरने से कोई विचित्र बात न हो उस को रोकने के लिए पुलिस का इंतजाम किया गया था। अध्यक्ष महोदय श्री गोपालन ने जो पत्र हम लोगों को लिखा था उस में प्रधान मंत्री के निवास स्थान का घेराव करने की बात नहीं कही गई थी। उस में यह कहा गया है कि केरल सदस्य प्रधान मंत्री के निवासस्थान पर धरना देंगे और यह बात भी कही गई थी कि धरना शांतिपूर्ण होगा। मैं यह जनाना चाहता हूं कि गृह मंत्री महोदय को कब पता चला कि संसद् सदस्यों का इरादा केवल शांतिपूर्ण धरना देने का नहीं है तथा वह प्रधान मंत्री के भवन को घेराव करना चाहते हैं जिस से बाहर वाले अन्दर न जा सकें और अन्दर से कोई बाहर न आ सके और अगर यह बात गृह मंत्री को पहले से पता लग गई थी तो इस क्षेत्र में दफा 144 क्यों नहीं लगाया गया ? जिस प्रिवेंटिव ऐक्शन की बात वह कहते हैं अगर 144 लगा दी जाती तो उसको तोड़ कर प्रधान मंत्री के भवन की ओर जाने वाला कोई भी व्यक्ति जुर्म करने वाला होता और पुलिस उस के विरुद्ध कार्यवाही कर सकती थी। मगर मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर संसद् सदस्य प्रधान मंत्री के घर पर धरना देने जायेंगे तो क्या उन का पुलिस के साथ मुकाबिला होगा। क्या और कोई तरीका नहीं है संसद् के सदस्यों के साथ इन मामलों को निपटाने का ? अध्यक्ष महोदय, अगर और कोई प्रधान मंत्री होता तो पुलिस को बीच में न लाता। संसद् सदस्यों के साथ मामला और तरह से तय करता।

Shri Y. B. Chavan: It is rather a very peculiar argument and logic that the hon. Member has employed in asking that question. He asked why section 144 was not exercised. If I had made use of section 144, I would have been asked why I resorted to section 144. Then he asked whether there was not any other way of dealing with Members of Parliament who wanted to go and picket there. Can I ask a counter-question? Was there not any other way open to them to get their grievance redressed than resorting to it? Is it the only way that Members of Parliament go and picket the house of the Prime Minister? It is not a question of a *dharna*. The information that we had was—that was issued in a press note—that they wanted to go and picket the House of the Prime Minister.

Shri Jyotirmoy Basu: What else could they do?

Shri Y. B. Chavan: That is a different matter. Picketing involves the prevention of movement and activities of people. Therefore we had to take necessary action about it. . . . (*Interruption*).

12.20 hrs.

PAPER LAID ON THE TABLE

ANNUAL REPORT (PART I) OF REGISTRAR OF NEWSPAPERS

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah): Sir, I beg to lay on the Table a copy of the Annual Report (Part I) of the Registrar of Newspapers for India on Press in India for the year 1966. [*Placed in Library*. *See* No. LT-1342 67).

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

SECOND AND THIRD REPORTS

Shri M. R. Masani (Rajkot): Sir, I beg to present the following Reports of the Public Accounts Committee:—

(1) Second Report on Audit Report (Civil) on Revenue Receipts.